

उत्तर प्रदेश शासन  
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-24/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी.सी.252-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(313)-2024


लखनऊ: दिनांक: 07 फरवरी, 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या- 1141/ग्यारह-2-23-9(47)/17- टी0 सी0 230-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(289)-2023 दिनांक 21 सितम्बर, 2023, का उन बातों के सिवाय विखण्डन करती हैं, जो ऐसे विखंडन के पूर्व की गई हों या किये जाने हेतु लोपित हों।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2024 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,



(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव